तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
29/3/2022	अपील प्रार्थी के पक्ष सुनी। अपील प्रार्थी ने मय सरमाये Tok upal पर की। Tok upal अनुसार विवादित आराजी पर प्रार्थी का कब्जा काश्त नहीं अपितु इक्त खा. न. के प्लॉट काट के बेचे गये हैं। मौके पर काबिज शामिल नहीं है तथा औपचारिक भाग पर निर्माण के रखा है। अतः प्रार्थी का विवादित आराजी पर कब्जा काश्त नहीं होने व मौके पर कृषि कार्य नहीं होने से पत्रावली खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होने तक के लिए अपील दायर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी हिण्डौली (टोंक)	